खबर कोना

म्यांमा के उत्तर-पश्चिम में करीब 37 हजार लोग विस्थापित : संरा

संयुक्त राष्ट्र, 3 नवंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस की एक प्रवक्ता ने कहा है कि म्यांमा के उत्तर-पश्चिम में महिलाओं एवं बच्चों समेत करीब 37 हजार लोग विस्थापित हुए हैं और कई लोग मौजूदा लड़ाई बढ़ने की आशंका के चलते अपना घर छोड़ भारत सहित अन्य देशों में चले गए हैं। महासचिव की सहायक प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सोटो नीनो ने सोमवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि म्यांमा में संयुक्त राष्ट्र की टीम, 'उत्तर-पश्चिम में देश की सेना और जिन राज्य के साथ-साथ मैगवे और सागिंग क्षेत्रों में स्थानीय पोपुलर डिफेंस फोर्सेज के बीच लड़ाई बढ़ जाने से बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि इसके चलते अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और संपत्ति बर्बाद हुई हैं। यह स्थिति, सेना द्वारा एक फरवरी को म्यांमा सरकार पर अपना नियंत्रण करने के नौ महीने बाद है। हाल के दिनों में पश्चिमी चिन के थंटलांग शहर में लोगों के 160 से अधिक घर जलाने और गोलाबारी की चिंताजनक खबरें भी सामने आई हैं।

बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चीन को घेरा

ग्लासगो, 3 नवंबर (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पांच दिवसीय अपनी विदेश यात्रा के दौरान दो वैश्विक शिखर सम्मेलनों में वैश्विक मंच पर चीन के नेतृत्व के अभाव और जलवायु परिवर्तन को लेकर बेजिंग पर निशाना साधा।

स्काटलैंड में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे बाइडेन ने मंगलवार को अपनी पांच दिवसीय विदेश यात्रा सम्पन्न की।

इस दौरान, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सम्मेलन में आनलाइन शामिल होने को लेकर निंदा की। उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए करीब 100 अन्य देशों द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं के स्तर पर पहुंचने में चीन के विफल रहने को लेकर भी शी पर निशाना साधा।

इससे पहले शी रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भी नहीं पहुंचे थे और बाइडेन ने उस मौके का भी पूरा फायदा उठाते हुए फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात की थी। बाइडेन ने मंगलवार को अपनी यात्रा सम्पन्न करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम यहां आए और यहां आकर हमने अमेरिका को एक नेतृत्व की भूमिका में देखने वाली शेष दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला।

जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे बाइडेन ने मंगलवार को अपनी पांच दिवसीय विदेश यात्रा सम्पन्न की। इस दौरान, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सम्मेलन में आनलाइन शामिल होने को लेकर निंदा की।

बाइडेन ने कहा कि चीन ने इन शिखर सम्मेलनों में हिस्सा न लेकर एक 'बड़ी गलती' की, क्योंकि 'उन्होंने दुनियाभर के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता खो दी है।'

राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि चीन के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चीन के खिलाफ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करने की एक नई रणनीति भी दिखाई।

वाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 'कदम बढ़ाना' चीन का दायित्व है और अमेरिका बेजिंग पर इसके लिए दबाव डालता रहेगा।

यह पूछे जाने पर कि अमेरिकी को उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध क्यों होना चाहिए, जबकि चीन और रूस ने समान प्रतिबद्धता नहीं जताई है, बाइडेन ने कहा, 'क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सांस ले पाएं और हम दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहते हैं।'

अमेरिका : 5 से 11 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को मिली हरी झंडी

वाशिंगटन, 3 नवंबर (एपी)।

अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 'फाइजर' के कोविड-19 रोधी टीके की बच्चों के मुताबिक तैयार खुराक 5 से 11 वर्ष के बच्चों को देने की मंगलवार को अनुमति दे दी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को टीके की खुराक देने की अनुमति पहले ही दे दी थी। यह खुराक वयस्कों और किशोरों को दी जाने वाली खुराक की एक तिहाई है। लेकिन एफडीए द्वारा स्वीकृत टीके किसे दिए जाएं इसकी औपचारिक अनुशंसा रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) करता है। एक सलाहकार पैनल के सर्वसम्मति से 'फाइजर' के टीके की खुराक 2.8 करोड़ बच्चों को दिए जाने का फैसला करने के कुछ ही घंटों बाद सीडीसी की निदेशक डा. रोशेल वेलेंस्की ने उक्त घोषणा की। इस फैसले के साथ ही पहली बार अमेरिका में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके लग पाएंगे।

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की निदेशक डा. रोशेल वेलेंस्की ने कहा, एक मां होने के नाते, मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहती हूं कि वे बाल विशेषज्ञों, स्कूल की नर्स या स्थानीय चिकित्सकों से टीके के बारे में और जानकारी लें तथा बच्चों के टीकाकरण के महत्व को समझें।

वेलेंस्की ने मंगलवार रात को एक बयान में कहा कि एक मां होने के नाते, मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहती हूं कि वे बाल विशेषज्ञों, स्कूल की नर्स या स्थानीय चिकित्सकों से टीके के बारे में और जानकारी लें तथा बच्चों के टीकाकरण के महत्व को समझें।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक महत्वपूर्ण फैसला बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि इससे अभिभावकों की उनके बच्चों को लेकर कई महीनों से बनी चिंता खत्म हो गई। यह विषाणु से निपटने की दिशा में हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: 272, कैप्टन गौड़ मार्ग, फेज़-3, ओखला, नई दिल्ली-110020

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **28/06/2021** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री पीटर डी'कॉस्टा पुत्र श्री फिलिप डी'कॉस्टा,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.19,20,275/- (उन्नीस लाख बीस हजार दो सौ पचहत्तर रूपये मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 31.03.2021 से भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदारों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा 30 अक्टूबर, 2021** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.19,20,275/- (उन्नीस लाख बीस हजार दो सौ पचहत्तर रूपये मात्र)** और उस पर ब्याज के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

छत के अधिकार के बिना पहली मंजिल सम्पत्ति संख्या बी-21 पर निर्मित, भूमि परिमाप 50 वर्ग गज यानि 41.81 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 104/18/1 में से गाँव पालम के क्षेत्र में स्थित है जिसे राजा पुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से जाना जाता है। **जो घिरा है:-**

उत्तर: रोड 18 फीट — **दक्षिण:** प्लॉट का हिस्सा

पूर्व: अन्य सम्पत्ति — **पश्चिम:** रोड 20 फीट

स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 30/10/2021 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पाक के कब्जे वाले कश्मीर की खाई में गिरी बस, 22 की मौत

इस्मालाबाद, 3 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार को एक बस के गहरी खाई में गिर जाने के कारण उसमें सवार कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक यह हादसा क्षेत्र के सुधनोती जिले में उस समय हुआ जब एक यात्री बस जिले के बलूच इलाके से पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की ओर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और वह सड़क से 500 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण महिलाओं और बच्चों सहित कुल 22 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी दैनिक डान की खबर के अनुसार सड़क किनारे एक विक्रेता ने इस दुर्घटना को देखा और गांव की मस्जिद में नमाज कराने वाले नेता को टेलीफोन पर इसकी सूचना दी। इसके बाद मस्जिद के नेता ने मस्जिद के लाउडस्पीकर पर इसकी घोषणा कर ग्रामीणों से राहत एवं बचाव अभियान में सहायता के लिए दुर्घटनास्थल पर जाने के लिए कहा।

वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने वाले प्रतिरक्षी को खोजा

वाशिंगटन, 3 नवंबर (भाषा)।

वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरक्षी की पहचान एवं जांच की है जो कोरोना विषाणु के कई प्रकारों से होने वाले संक्रमणों की गंभीरता को सीमित कर सकता है जिनमें कोविड-19 के साथ ही सार्स बीमारी के लिए जिम्मेदार विषाणु शामिल हैं।

अध्ययन में सार्स का प्रकोप फैलाने वाले सार्स-सीओवी-1 विषाणु से संक्रमित और मौजूदा कोविड-19 से पीड़ित एक-एक मरीज के रक्त का विश्लेषण कर उसके शरीर से प्रतिरक्षी को अलग किया गया। अध्ययन के सह-वरिष्ठ लेखक एवं अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के निदेशक बार्टन हेन्स ने कहा कि इस प्रतिरक्षी में मौजूदा वैश्विक महामारी से निपटने की क्षमता है। हेन्स ने कहा कि यह भविष्य में सामने आने वाले प्रकोपों के लिए भी उपलब्ध हो सकता है अगर या जब कभी अन्य कोरोना विषाणु अपने प्राकृतिक पशु पोषक से निकलकर मनष्यों में आ जाते हैं।

इस प्रतिरक्षी में कई प्रकार से होने वाले संक्रमणों की गंभीरता को सीमित करने की क्षमता

अनुसंधानकर्ताओं ने 1,700 से अधिक प्रतिरक्षी की पहचान की, जो प्रतिरक्षा प्रणाली विशिष्ट विषाणुओं पर विशिष्ट स्थानों पर बंधकर रोगाणु को कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि जब विषाणु का उत्परिवर्तन होता है, तो कई संपर्ककारी स्थल (बाइंडिंग साइट) बदल जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षी अप्रभावी हो जाती हैं।

अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि विषाणु पर अक्सर ऐसे स्थल होते हैं जो उनके उत्परिवर्तन के बावजूद अपरिर्वितत रहते हैं।

उन्होंने ऐसी प्रतिरक्षीज पर ध्यान केंद्रित किया जो विषाणु के विभिन्न वंशों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी होने की उनकी क्षमता के कारण इन साइटों को लक्षित करती हैं। यह अध्ययन मंगलवार को 'साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन' में प्रकाशित हुआ।

गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के लिए सैम डिसूजा की गुहार

मुंबई, 3 नवंबर (भाषा)।

क्रूज पर मादक पदार्थ मामले में सैमविले डिसूजा ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल कर गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। इस मामले में भुगतान के आरोपों के संबंध में डिसूजा का नाम सामने आया था। मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। डिसूजा ने अपने आवेदन में दावा किया है कि मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गवाह किरण गोसावी ने आर्यन खान को रिहा कराने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख रुपये लिए थे।

दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए कानून लाएंगे : मिश्रा

भोपाल, 3 नवंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के दावों पर फैसला सुनाने और ऐसी घटनाओं में शामिल दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों से वसूली के लिए दीवानी अदालतों की शक्तियों वाले न्यायाधिकरणों के गठन के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि नए कानून के तहत संबंधित क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं के लिए शहर विशेष के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश सरकार पथराव और दंगों की घटनाओं के दौरान सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली करने के लिए निजी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति और वसूली अधिनियम लाने जा रही है।' प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मिश्रा ने कहा, 'इस न्यायाधिकरण में महानिदेशक (पुलिस), महानिरीक्षक और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे तथा उनके पास दीवानी अदालत की शक्तियां होगी और उनके फैसले को केवल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।'

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नए कानून के तहत संबंधित क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं के लिए शहर विशेष के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर इन न्यायाधिकरणों के समक्ष सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होंगे। जबकि व्यक्तिगत संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी संबंधित मालिक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

मिश्रा ने कहा कि न्यायाधिकरण के पास 'लैंड रेवेन्यू कोड' जैसी वसूली शक्तियां होंगी और यह ऐसे मामलों को तीन महीने की अवधि के अंदर निपटाएगा।

मंत्री ने कहा, 'दंगे और पथराव की घटनाओं में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।' पिछले साल, उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायाधिकरणों की स्थापना के माध्यम से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए इस तरह का एक अध्यादेश जारी किया था।

RattanIndia Power Limited
Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30 September 2021

(Rs. in Crore)

Sr. No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2021 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	757.14	874.36	198.13	1,631.50	393.87	1,559.86
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(463.95)	(386.69)	(461.27)	(850.64)	(912.05)	(941.85)
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(463.95)	(824.42)	(461.27)	(1,288.37)	(912.05)	(941.85)
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(463.95)	(824.42)	(461.27)	(1,288.37)	(912.05)	(941.86)
5	Total comprehensive loss for the period [Comprising loss for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(464.83)	(824.42)	(455.31)	(1289.25)	(906.05)	(936.24)
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)	5,370.11	5,370.11	4,939.78	5,370.11	4,939.78	5,370.11
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet						(5,995.21)
8	Earnings Per Share before extraordinary items (Face Value of Rs. 10 per Equity Share) -Basic (Rs.) -Diluted (Rs.) *(EPS for the quarter and half year ended are not annualised)	(0.86)* (0.86)*	(1.54)* (1.54)*	(0.94)* (0.94)*	(2.40)* (2.40)*	(1.85)* (1.85)*	(1.88) (1.88)

Notes:

(a) Additional information on standalone financial results is as follows: (Rs. in Crore)

Sr. No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2021 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	757.14	874.36	198.13	1,631.50	393.87	1,559.86
2	Net profit for the period before tax	19.30	87.10	0.27	106.40	0.24	96.71
3	Net profit for the period after tax	19.30	87.10	0.27	106.40	0.24	96.71
4	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for ther period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	18.36	87.10	0.61	105.46	0.62	96.68

(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindia.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

(c) The Auditors in their Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
Sinnar Thermal Power Limited (STPL), a wholly-owned subsidiary company, is yet to commence operations and has incurred a net loss amounting to Rs 531.75 crores during the quarter ended 30 September 2021. Further, STPL's accumulated losses as at 30 September 2021 amounted to Rs 8,613.89 crores and its current liabilities exceed its current assets by Rs 9,164.81 crores as of that date. STPL has also defaulted in repayment of borrowings from banks, including interest, aggregating to Rs 8,028.93 crores up till 30 September 2021. These conditions along with other matters including termination of Letter of Intent ('LOI') by Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL) in respect of LOI earlier issued by MSEDCL to enter into a power purchase agreement with STPL and withdrawal of the petition filed before Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) by STPL, as set forth in such note, indicate the existence of material uncertainty that may cast significant doubt about the STPL's ability to continue as a going concern. The management is of the view that going concern basis of accounting for STPL is appropriate owing to the mitigating factors mentioned in the aforesaid note and that no adjustments are necessary to the carrying value of the assets, including property plant and equipment of STPL aggregating to Rs7,981.40 crores as at 30 September 2021, as included in the accompanying Statement. However, in the absence of sufficient evidence for the aforesaid assessment performed by the management including the uncertainty over the outcome of ongoing discussions with the lenders to secure firm and unconditional commitment for providing working capital loans /bank guarantees required for executing the PPA, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on the appropriateness of going concern assessment of STPL by the management or asdjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the assets aggregating to Rs7,981.40 crores, including property plant and equipment of STPL as at 30 September 2021 and the consequential impact thereof on the accompanying consolidated financial results.

(d) The Auditors in their Auditor's Review Repazort on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
The Company has a non-current investment of Rs. 1,211.82 crores (net of impairment provision of Rs. 1,814.40 crores) and inter corporate deposits (classified under current assets) of Rs. 26.05 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) (STPL), a wholly owned subsidiary of the Company, as at 30 September 2021. The subsidiary company has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. The accumulated losses in the subsidiary company amount to Rs. 8,613.89 crores as at 30 September 2021, and the management of the subsidiary company has determined that a material uncertainty exists as at 30 September 2021, that may cast significant doubt about the subsidiary company's ability to continue as a going concern. The management of the Company, based on an internal estimate, has recorded an impairment of Rs. 1,814.40 crores against carrying value of investment in STPL in earlier years. In the absence of adequate and appropriate evidence for such impairment assessment performed by the management and to support the appropriateness of the going concern assumption, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the above mentioned non-current investment of Rs 1211.82 crores and inter corporate deposits of Rs. 26.05 crores as at 30 September 2021 and the consequential impact thereof on the accompanying Statement.

Registered Office : A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi - 110037
CIN: L40102DL2007PLC169082

Place: New Delhi
Date : 03 November 2021

For and on behalf of the Board of Directors
For RattanIndia Power Limited
Vibhav Agarwal
Managing Director

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स — यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
Circle Office, 1-2, Raghunath Nagar, M.G Raod, Agra

चल/अचल सम्पत्तियों का कब्जा सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत}

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ सहपठित धारा-13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/ कनूनी वारिस के उत्तराधिकारी को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं के उत्तराधिकारी के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं उत्तराधिकारी को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 (4) एवं नियम के उपनियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/ कनूनी वारिस के उत्तराधिकारी को विशेषत: और जनसाधारण को सामान्यत: सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** अधिग्रहण कर लिया गया है, अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।

ऋणियों एवं गारन्टरों/बंधककर्ताओं का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्तियों को वापिस छुड़ा लें।

क्र. सं0.	ऋणियों/बंधककर्ताओं व शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	कब्जा दिनांक	मांग नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	**ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर मैसर्स अल्पसो वेंचर प्राइवेट लिमिटेड** श्रीमती अपर्णा सिंह पत्नी श्री विक्रम कुलश्रेष्ठ और श्रीमती मंजू बाला कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री सुनील कुमार कुलश्रेष्ठ **शाखा-आईबीबी, आगरा**	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित फ्लैट नम्बर-2, ग्राउण्ड फ्लोर, टाइप-ए, सम्पत्ति नम्बर 18/बी-1, अनन्त आपर्टमेन्ट, मौजा राजपुर, शमशाबाद रोड़, तहसील व जिला आगरा सुपर बना हुआ क्षेत्रफल 150.59 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती अपर्णा सिंह पत्नी श्री विक्रम कुलश्रेष्ठ और श्रीमती मंजू बाला कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री सुनील कुमार कुलश्रेष्ठ के नाम) चौहद्दी:- पूर्व-आसमानी खुला, पश्चिम-फ्लैट नम्बर-1, उत्तर-गलियारा और निकास, दक्षिण-आसमानी खुला।	27.07.2021	30.10.2021	रु. 1,64,53,763.30 ब्याज व अन्य खर्चे जोकि 01.05.2021 तक तथा भविष्य के देय शुल्क
2.	**ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा** और श्रीमती कृतिका शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा **शाखा-केयूएमएस, आगरा**	साम्यिक बंधक दो मंजिला आवासीय सम्पत्ति मकान ईडब्ल्यूएस, डी-692, डी ब्लॉक, कलिन्दी बिहार, नाराइच, आगरा कुल क्षेत्रफल 27.00 वर्गमीटर बना हुआ क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती कृतिका शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा के नाम) चौहद्दी:-पूर्व-9 मीटर चौड़ा रोड़, पश्चिम-ईडब्ल्युएस डी-691, उत्तर-30 फुट चौड़ा रोड़, दक्षिण-खाली जगह।	01.07.2021	30.10.2021	रु. 15,28,035.00 ब्याज व अन्य खर्चे जोकि 01.04.2021 तक तथा भविष्य के देय शुल्क
3.	**ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर श्री बृजेन्द्र कुमार गौतम** और श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी श्री बृजेन्द्र कुमार **शाखा-कमलानगर (पूर्व में ओबीसी), आगरा**	साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट नम्बर 15, द्वितीय तल श्रीजी रेजिडेन्सी आपर्टमेंट, निरव निकुंज फेस-1, मौजा ककरेठा तहसील व जिला आगरा क्षेत्रफल 75.66 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री बृजेन्द्र कुमार गौतम और श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी श्री बृजेन्द्र कुमार के नाम) चौहद्दी:-पूर्व-आम गैलरी 8 फुट और निकास, पश्चिम-आसमानी खुला, उत्तर-फ्लैट नम्बर-16, दक्षिण-फ्लैट नम्बर- 14	07.06.2021	01.11.2021	रु.17,75,949.79 ब्याज व अन्य खर्चे जोकि 01.04.2021 तक तथा भविष्य के देय शुल्क

स्थान-आगरा — प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com